

प्रेस नोट थाना दियोरिया कला जनपद पीलीभीत दिनांक 02.02.21



(अभि० जमुना प्रसाद)



(अभि० अवधेश)



(अभि० देवदत्त)



(अभि० यशपाल)



(रामकृपाल मिश्रा उर्फ पीलू)



(ईश्माइल)

सादर अवगत कराना है कि थाना दियोरिया कलां पर पंजीकृत मु०अ०सं० 23/21धारा 420/406/411भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. जमुना प्रसाद पुत्र किशनलाल उम्र 48 वर्ष निवासी मो० दुर्गा प्रसाद कस्बा व थाना बीसलपुर जिला पीलीभीत के कब्जे से 11000/- रुपये 2. अवधेश कुमार पुत्र रामस्नेही निवासी ग्राम चकशिवपुरी थाना दियोरिया कलां जिला पीलीभीत के कब्जे से 9000/- 3. देवदत्त पुत्र डालचन्द्र निवासी ग्राम विक्रमपुर थाना क्योलड़िया जनपद बरेली के कब्जे से 9000/- 4. यशपाल पुत्र ठाकुरदास(पीआरडी जबान) निवासी ग्राम मैथी नवदिया थाना क्योलड़िया जनपद बरेली के कब्जे से 9000/- रुपये 5. रामकृपाल मिश्रा पुत्र कृपाल पुत्र पीलू पुत्र चन्द्रसेन मिश्रा निवासी ग्राम रिड़ोला घासी थाना बीसलपुर जिला पीलीभीत के कब्जे से 9000/- रुपये 6. ईश्माइल पुत्र रफीउद्दीन निवासी ग्राम ऊचा थाना फरीदपुर जनपद के कब्जे से 9000/-रुपये जो दिनांक 29.01.2021 को वादी मुकदमा श्री कृष्ण पुत्र रामलाल निवासी ग्राम वुहिता थाना दियोरिया कलां जिला पीलीभीत के घर से धोखा देकर डबल रुपये करने का लालच देकर 56000/- रुपये ले गये थे। जिसको आज दिनांक 02.02.2021 को पुलिस अधीक्षक पीलीभीत के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक दियोरिया पीलीभीत के निर्देशन में उ०नि० श्री हरीशंकर यादव, हे०का० ज्ञानचन्द्र, हे०का० शाहिर, हे०का० राजीव पाठक, का० शुभम, का० रुपचन्द, का० गौरव कुमार, का० अकुश कुमार पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगणों को मुखबिर की सूचना पर वादी के साथ पुलिस टीम ने बैनीपुर गाँव के जंगल आम के वाग से जमुना प्रसाद, अवधेश, देवदत्त, यशपाल, रामकृपाल मिश्रा उर्फ पीलू, ईश्माइल मौके से समय 11.30 बजे गिरफ्तार किया जिनके कब्जे से 56000/- रुपये बरामद हुए जो 100% बरामदगी हुई है। धोखेदेने व रुपये को दोगुना करने के शीशा, पाउडर आदि सामान बरामद हुए है वादी ने अभियुक्त जमुना प्रसाद, अवधेश, यशपाल, ईश्माइल, रामकृपाल मिश्रा उर्फ पीलू, देवदत्त सभी अभियुक्तगणों को पहचाना 16 नोट 2000/- 2000/- रुपये के, 16 नोट 500/-500/- रुपये के, 80 नोट 200/- 200/- रुपये के बरामद हुए है जो वादी द्वारा पहचाने है। अभियुक्तगण एक संगठित गिरोह बनाकर भोले भाले लोगों को धोखा देकर उनसे छलकरके रुपया ऐठ लेते है। सातिर किस्म के आपराधी है जिनका एक संगठित गिरोह है किसी थाने से वांछित हो तो आवश्यक कार्रवाही करे। मा० न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है।